26/IV/15

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

0L 019570

ट्रस्ट डीड

यह विलेख आज दिनांक 08-6-2015 ई0 को दीपक कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी- जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद द्वारा निष्पादित किया गया है।

1. ***ट्रस्ट का नाम***- ठा0 प्रवीन जादोन एकेडमिक एण्ड सोशल वैलफेयर ट्रस्ट
2. ***ट्रस्ट का पता***- ग्राम जगमुदी, पोस्ट करहरा, तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद
   शाखा कार्यालय- ट्रस्ट की शाखायें देश के अन्य स्थानों पर स्थापित की जा सकती है।
3. ***ट्रस्ट में लगाया गया धन***- ट्रस्ट में लगाया गया धन 5,000/- पांच हजार रुपये नगद धनराशि दीपक कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा ट्रस्ट के लिए समर्पित की गयीं है।

   भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार ट्रस्ट एक ऐसा आभार जो सम्पत्ति के स्वामित्व का आबद्ध होता है जिसे सम्पत्ति का स्वामी स्वीकार करता है। अथवा घोषित एवं स्वीकार करता है। सम्पत्ति का स्वामी इस प्रकार का आभार अन्य व्यक्तियों के हित अथवा लाभ को स्वीकार करेगा।

क्रमशः......2 पर

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधा देवी

Suman lata

रजिस्टर का क्रमांक 55 दिनांक 13-5-2015

स्टाम्प का मूल्य अंकों में 100 शब्दों में ...

क्रेता का नाम दीपक कुमार

पिता/पति का नाम वीरेन्द्र सिंह

पत्र व्यवहार/निवास का पता जगमुपी शिकोहाबाद

लेखपत्र का प्रकार ...

कुल कितने 10 कुल कीमत 150

अजयपाल सिंह
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नं० 5/1988
तहसील परिसर, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

शुल्क 5% 3000/-

100/- 20/- 120/-

फीस रजि० नकल प्रति शब्द 840

श्री/श्रीमती दीपक कुमार

पुत्र/पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह

पेशा व्यापार निवासी जगमुपी

तहसील–शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद ने यह लेखपत्र कार्यालय उप निबन्धक शिकोहाबाद जिला–फिरोजाबाद में आज दिनांक 9-6-15 को दिन के मध्य 12 व 1 बजे प्रस्तुत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद 9-6-15

इस लेखपत्र के निष्पादन सुन व समझकर उसमें लिखे प्रतिफल ... जिसमें से अंकन ... रुपये नकद मेरे सामने पाकर श्री दीपक कुमार प्रेरक

दीपक कुमार

पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह जगमुपी ने स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री पारस सिंह ... जगमुपी व श्रीमती ... निवासी ...

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद 9-6-15

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधा देवी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
शिकोहाबाद

साक्षी भद्र प्रतीत होते हैं

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 014918

- 9 MAR 2015

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

(2)

4. ***ट्रस्ट के तत्व-*** मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट का गठन निम्न तत्वों पर आधारित है। ट्रस्ट एक प्रकार का आभार है। आभार का सम्पत्ति से जुड़ा होना स्वामित्व से आबद्ध होता है। ट्रस्ट का उदय विश्वास से होता है। और प्रत्येक ट्रस्ट के लिए द्वितािधकारियों का होना आवश्यक है ट्रस्ट का रचयिता अपनी सम्पत्ति प्रदान करके सम्पत्ति के स्वामित्व के आभार का आबद्ध करेगा। इस प्रकार एक ट्रस्ट में आभार ट्रस्टी हितधारी ट्रस्ट सम्पत्ति तथा सम्पत्ति के स्वामी द्वारा विश्वास पूर्वक आभार की अभिव्यक्ति है।

उपरोक्त अधिनियम व तत्वों के आधार पर ट्रस्ट के निम्न ट्रस्टी होंगे-

1.	दीपक कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद	मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव)
2.	वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोहन सिंह निवासी– ग्राम जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद	अध्यक्ष/ट्रस्टी
3.	श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद	ट्रस्टी
4.	डा0 बृतेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी– मुहल्ला शम्भूनगर, शिकोहाबाद	ट्रस्टी
5.	श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री बृतेन्द्र कुमार निवासी– मुहल्ला शम्भूनगर, शिकोहाबाद	ट्रस्टी

क्रमशः......3 पर

दीपक कुमार   वीरेन्द्र सिंह   सुधादेवी   Brotendra Kumar

Suman lata

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CL 014919

9 MAR 2015

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

(3)

5. ***ट्रस्ट के उद्देश्य-***

1. युवक–युवतियों को उच्च तकनीकी एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना।
2. समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना एवं उनकी सहायता करना।
3. मानव कल्याण हेतु जनहित में कार्य करना।
4. जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना तथा विद्यालयों/उच्च शिक्षा संस्थाओं/डिग्री कालेज/इन्जीनियरिंग/तकनीकी एवं कृषि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, कम्प्यूटर युक्त आधुनिक शिक्षा पद्धति से करना उनका प्रबन्धन एवं संचालन करना।
5. समय–समय पर अन्य समाज सेवा जनहितकारी कार्य करना।
6. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं से अथवा निजी व्यक्तियों/ जनप्रतिनिधियों से अनुदान, दान अथवा ऋण प्राप्त करना तथा आवश्यकता पड़ने पर जमीन को मोर्गेज करने का अधिकार होगा।
7. समाज के प्रत्येक वर्ग के शैक्षिक उन्नय हेतु विशेष प्रयास करना।
8. देश व विश्व के कोने–कोने में जाकर भारतीय संस्कृति कला का प्रचार प्रसार करना एवं पौराणिक कथाओं के एवं सत्संगों के माध्यम से समाज के सर्वांगीण सुधार एवं सद्भावना विकसित करना।
9. यज्ञ इत्यादि प्रक्रियाओं द्वारा वातावरण परिशोधनार्थ कार्य करना एवं कराना।

क्रमशः......4 पर

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधा देवी Brajendra Kumar

Suman lata

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 014920

9 MAR 2016

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

(4)

10. ट्रस्ट के विकास हेतु निर्धन, अनाथ एवं निर्बल वर्ग के नागरिकों वृद्धजनों, विधवा/ अनाथ महिलाओं, निराश्रित अनाथ बच्चों, अपंग लोगों के कल्याण हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों एवं अन्य संस्थाओं, संगठनों के वित्तीय सहयोग/अनुदान/ऋण से चलायी जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित कर नागरिकों का सर्वागीण विकास करना।
11. ट्रस्ट एक लाभरहित संस्था है इसका मुख्य उद्देश्य जन सामान्य में शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करना है।

6. ***ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र***- सम्पूर्ण भारत वर्ष
7. ***ट्रस्ट के धन सम्बन्धी कार्य***-

1. ट्रस्ट में जन सामान्य द्वारा एवं ट्रस्टियों द्वारा दिया गया धन एवं दान की धनराशि ट्रस्ट के द्वारा खोले गये खाता (किसी राष्ट्रीयकृत बैंक) में जमा की जायेगी जो जनहित तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जायेगी। उक्त धनराशि के लिए लेनदेन करने (बैंक खाता संचालन के लिए) मुख्य ट्रस्टियों (प्रबन्धक/सचिव) के हस्ताक्षर से ही बैंक से धन निकाला जायेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी भी संस्था ठा0 प्रवीन जादोन एकेडमिक एण्ड सोशल वैलफेयर ट्रस्ट, ग्राम जगमुदी, पोस्ट करहरा, तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति एवं उसका संचालन इसी ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश ट्रस्ट द्वारा कोई भी संस्था समाप्त होती है। ऐसी स्थिति में संस्था की चल व अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहित हो जायेगी।

क्रमशः......5 पर

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधादेवी Brotendrakumar

Suman lata

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CL 014922

9 MAR 2015

उप-कोषागार, शिकोहाबाद

4. ट्रस्ट की सम्पत्ति को बेचने, किराये पर देने का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

8. ***ट्रस्टियों की नियुक्ति***- सभी ट्रस्टी आजीवन इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे किसी सदस्य की मृत्यु के उपरान्त उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होगें। उत्तराधिकारी में ट्रस्टी का पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री ट्रस्टी होंगे तथा मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से ट्रस्टियों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

9. ***संचालित संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के नामित सदस्य***- ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/अन्य संस्थाओं जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होंगे की प्रबन्ध समितियों का गठन मुख्यट्रस्टी एवं अन्य ट्रस्टी मिलकर करेंगे। यदि मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टियों द्वारा प्रबन्ध समिति पूर्व नहीं होती है तो मुख्यट्रस्टी एवं ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।

10. ***ट्रस्ट प्रमुख***- दीपक कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह इस ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी/प्रमुख ट्रस्टी तथा प्रबन्धक/सचिव होंगे। इनकी मृत्योपरान्त इनके द्वारा नामित व्यक्ति अथवा इनका उत्तराधिकारी ही पदाधिकारी/प्रमुखट्रस्टी/मुख्यट्रस्टी होंगे। उत्तराधिकारी में प्रमुख ट्रस्टी का पुत्र और पुत्र न होने पर सबसे बड़ी पुत्री मुख्यट्रस्टी/ पदाधिकारी/प्रमुखट्रस्टी होगी।

11. ***ट्रस्टियों की संख्या***- ट्रस्टियों की संख्या मुख्यट्रस्टी को मिलकर 5 होगीं, जिसमें वर्तमान में मुख्यट्रस्टी सहित निम्न ट्रस्टी होंगे।

1. दीपक कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह निवासी– ग्राम जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद	मुख्य ट्रस्टी (प्रबन्धक/सचिव)

क्रमशः......6 पर

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधादेवी Brajeshwari Devi

Suman lata

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 847777

2. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रोहन सिंह
   निवासी– ग्राम जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद — अध्यक्ष/ट्रस्टी
3. श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह
   निवासी– ग्राम जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद — ट्रस्टी
4. डा0 बृतेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह
   निवासी– मुहल्ला शम्भूनगर, शिकोहाबाद — ट्रस्टी
5. श्रीमती सुमनलता पत्नी श्री बृतेन्द्र कुमार
   निवासी– मुहल्ला शम्भूनगर, शिकोहाबाद — ट्रस्टी

12. ***ट्रस्ट की बैठक***- ट्रस्ट की साधारण बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी जिसकी सूचना समस्त ट्रस्टियों को एक सप्ताह (सात दिन) पूर्व दी जायेगी किन्तु विशेष बैठक किसी भी समय 24 घण्टे पहले सूचना देकर बुलाई जा सकती है। बैठक अध्यक्ष एवं प्रबन्धक की सहमति से अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक में से कोई भी बुला सकता है।

13. ***गणिपूर्ति***- बैठक में समस्त ट्रस्टियों के 2/3 भाग ट्रस्टियों का होना अनिवार्य है।

14. ***ट्रस्टी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य***-

   1. अध्यक्ष–

   (1) ट्रस्टी मण्डल के अध्यक्ष ट्रस्ट का पत्राचार सभा में एवं प्रमुख स्थानों पर सभा की अध्यक्षता करेंगे।

   (2) मीटिंग बुलाने के लिए प्रबन्धक को निर्देश देंगे।

क्रमशः......7 पर

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधादेवी Bratendra Kumar

Sumanlata

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AX 847778

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. प्रबन्धक/सचिव–

(1) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना तथा उनकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना व प्रतिनिधित्व करना।

(2) ट्रस्ट के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उनका प्रचार–प्रसार करना।

(3) ट्रस्ट के हित में दान, चन्दा, प्राप्त करना तथा संस्था कोष में जमा करना, ट्रस्ट की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं देखभाल करना।

(4) दान अनुदान चन्दा प्राप्त करना व उसकी रसीद देना ट्रस्ट के सभी अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना एवं उनका समय–समय पर निरीक्षण करना।

(5) ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष की अनुमति से एवं वादों की पैरवी करना।

(6) संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ट्रस्टी, बन्धक विलेखों, बिल वाउचर पर हस्ताक्षर करना।

15. ***लेखा परीक्षक***- ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी के मार्ग दर्शन एवं सहमति से किसी भी ट्रस्टी सदस्य को ट्रस्ट का लेखा परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा एवं मुख्यट्रस्टी द्वारा अनावश्यक समझे जाने पर हटाया जा सकेगा। ट्रस्टी प्रमुख के मार्ग दर्शन एवं सहमति से ही ट्रस्ट के उद्देश्यों को प्राप्त करने

क्रमशः......8 पर

सुशीला देवी

Suman Lata

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 847779

हेतु धन संग्रह व्यय किया जा सकेगा। लेखा परीक्षक ट्रस्ट के सम्पूर्ण आय व्यय का हिसाब किताब का बराबर लेखा जोखा रखेगा एवं नियमित रूप से कानून अनुसार आडिट आदि करवायेगा। संस्था के आय–व्यय वही पत्रों की सत्र समाप्ति पर जांच हेतु मुख्यट्रस्टी के समक्ष प्रस्तुत करना।

16. ***संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों का गठन-***

1. ट्रस्ट द्वारा विभिन्न संस्थाओं के लिए प्रबन्ध समिति का चुनाव इन्हीं ट्रस्टियों द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये मुख्यट्रस्टी चुनाव अधिकारी की नियुक्त करेगा।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों के अधिकार कर्तव्य निर्धारित प्रबन्धकीय योजना के अनुरूप होगे।
3. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं/महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रबन्ध समिति का गठन मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे तथा यदि प्रबन्ध समिति पूर्ण नहीं होती है तो मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर अन्य बाहरी सदस्यों को प्रबन्ध समिति हेतु नामित करेंगे।
4. ट्रस्ट द्वारा संचालित महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चयन मुख्यट्रस्टी व ट्रस्टी मिलकर करेंगे। संचालित संस्थान/महाविद्यालय में निम्न पदाधिकारी होंगे।

(1)	अध्यक्ष	एक
(2)	प्रबन्धक/सचिव	एक
(3)	सदस्य	तीन

क्रमशः......9 पर

दीपक कुमार
वीरेन्द्रसिंह
सुधादेवी
Suman lata

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AX 847780

उपरोक्त ट्रस्ट का गठन दिनांक 08-6-2015 को साधारण जनता के हितों व लाभों के लिए किया गया है ट्रस्ट द्वारा मुख्य रूप से शिक्षा संस्थानों/डिग्री कालेजों का संचालन किया जाना, वृद्धों, निर्बलों, असहायों, विकलांगों, महिलाओं व अनाथ बच्चों की सहायता करना, रोगी आदि रोज के निवारण हेतु तत्परता दिखाना व चिकित्सालयों की स्थापना करना व ट्रस्ट सम्पत्तियों व भवनों का जीर्णद्वारा करने, निर्धन, कन्याओं के विवाह आदि करवाना व यथा समय निर्धनों को दान एवं समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराना आदि उपरोक्त ट्रस्ट का उद्देश्य होगा। तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में लाभ निहित नहीं है।

अतः यह ट्रस्ट डीड मुख्यट्रस्टियों द्वारा राजी व खुशी से बिना वहकाये व सिखाये व बिना किसी नाजायज दबाव के अपने पूर्ण होश हवाश में परिवारीजनों से सलाह मशवरा करके लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

क्रमशः......10 पर

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधा देवी

Suman lata

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AX 847781

(10)

लेखतिथि 08–6–2015 ई०। मसौदाकर्ता– ओमप्रकाश यादव, दस्तावेज लेखक, तहसील शिकोहाबाद।

ओमप्रकाश यादव
दस्तावेज लेखक
तहसील- शिकोहाबाद (फिरो०)

गवाह– पारुल सिंह पत्नी श्री दीपक कुमार
निवासी– मुहल्ला शम्भूनगर, शिकोहाबाद

Parul Singh

गवाह– नवीन कुमार पुत्र श्री वीरेन्द्र सिंह
निवासी– ग्राम जगमुदी, तहसील शिकोहाबाद

नवीन कुमार

दीपक कुमार वीरेन्द्र सिंह सुधा देवी

Suman Lata

रजिस्टर का क्रमांक 64 दिनांक 13-8-2015
स्टाम्प का मूल्य 10 शामिल नम्बर 6
...... का नाम ......
कुल ...... 10 कुल कीमत 780

अजयपाल सिंह
स्टाम्प विक्रेता
लाo सo 1577989
तहसील परिसर, सिकंदराबाद (फिरोजाबाद)

आज दिनांक 09-6-15 को फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या IV खण्ड संख्या 26
के पृष्ठ 395/414 पर क्रम सं० 26
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सि. ......